न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अनमोल पाल, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 223 सन 2022**

राज्य **बनाम** अली रोषन व एक अन्य

मु0अ0सं0–**189** सन **2020**
धारा–323/34, 504, 308/34 भा0दं0सं0
थाना–चुनार, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनमोल पाल, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **अली रोषन** व **मुरादन अली** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 11.07.2020 को समय करीब 04.00 बजे शाम बहदस्थान कूबाखुर्द, क्षेत्रान्तर्गत थाना कोतवाली चुनार, जनपद मीरजापुर में आप लोगो ने वादी मुकदमा के पुत्र हकीम अली एवं रेशमा बानो पत्नी नसीम अली को लाठी डण्डा से मार पीटकर साधारण स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भा0दं0संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा के पुत्र हकीम अली एवं रेशमा बानो पत्नी नसीम अली को गाली गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दंण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगो द्वारा साशय वादी मुकदमा के पुत्र हकीम अली को लाठी डण्डा से मार पीट कर सिर में गंभीर चोटें पहुंचायी गयी। यदि इन चोटों से हकीम अली की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भा0दं0सं0 की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 08.04.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1880

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 08.04.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1880

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 **– 223 सन 2022**

राज्य **बनाम** अली रोषन व एक अन्य

मु0अ0सं0–**189** सन **2020**

धारा–323/34, 504, 308/34 भा0दं0सं0

थाना–चुनार, जिला–मीरजापुर।

08.04.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण अली रोषन व मुरादन अली व्यक्तिगत रुप से मय अधिवक्ता उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि इस प्रकरण में धारा 308 भा0दं0सं0 की सिर पर कोई फ्रैक्चर की चोट नहीं है।

धारा 221 दं0प्र0संहिता उन दशाओं के बारे में प्रावधानित करती है कि जब यह निश्चित नहीं है कि कौन सा अपराध कारित किया गया है तो उसे सभी अथवा उनमें से कुछ अपराध हेतु आरोपित किया जा सकता है। धारा 308 भा0दं0सं0 का अपराध इस प्रकरण में सृजित होता है अथवा नहीं इसका निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकता है। यदि अपराध साबित नहीं होता, तो उपरोक्त आरोप में अभियुक्त की दोषमुक्ती हो जायेगी। अभियोजन प्रपत्रों के प्रकाश में निश्चायक रुप से इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता है कि धारा 308 भा0दं0सं0 का अपराध सृजित नहीं होता है। अतः धारा 221 दं0प्र0संहिता के प्रकाश में इस प्रकरण में अन्य धाराओं के साथ धारा 308 भा0दं0सं0 में भी आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्तगण अली रोषन व मुरादन अली के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 308/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 01.05.2024 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।